भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **3843** जिसका उत्तर

गुरूवार, **18 मार्च**, 2021/27 फाल्गुन, 1942 (शक) को दिया जाना है

चंबल नदी में जल परिवहन

3843. श्री सी.पी.जोशी:

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चंबल नदी में छोटे स्टीमर चलाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रयास किए गए हैं और तत्संबंधी संभावित परिणाम क्या रहे?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री मनसुख मांडविया)

(क) और (ख): व्यवहार्यता अध्ययन के आधार पर, चंबल नदी (राष्ट्रीय जलमार्ग- 24) को कार्गो आवागमन के लिए व्यवहार्य नहीं पाया गया है। रा.ज. -24 को श्रेणी 'ख' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, जिसमें केवल पर्यटन की संभावनाएं हैं। पर्यटन और फेरी/स्टीमर सेवाओं का विकास करना राज्य का विषय है और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई), पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन एक स्वतंत्र निकाय, इसके लिए अधिदेशित नहीं है।

*****